रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23062026-273731
CG-DL-E-23062026-273731

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 164] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 2026/ज्येष्ठ 28, 1948
No. 164] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2026/JYAISTHA 28, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच की शुरूआत की अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2026

सेतु मामला आईडी: एडी/ओआई/022/2026

विषय : चीन जनवादी गणराज्य तथा जापान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित रेसोरसिनॉल के आयातों के संबंध में पाटन-रोधी जांच की शुरुआत।

1. **फा. सं. 6/21/2026-डीजीटीआर.— अतुल लिमिटेड** (जिसे आगे **"आवेदक"** कहा गया है) ने **सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975** (समय-समय पर संशोधित) (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा गया है) तथा **सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटन-रोधी शुल्क की पहचान, आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995** (समय-समय पर संशोधित) (जिसे आगे **"नियमावली"** कहा गया है) के प्रावधानों के अनुसार **नामित प्राधिकारी** (जिसे आगे **"प्राधिकारी"** कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है। इस आवेदन में **रेसोरसिनॉल** (जिसे आगे **"विचाराधीन उत्पाद"** अथवा **"संबद्ध वस्तुओं "** कहा गया है) के उन आयातों के संबंध में पाटन-रोधी जांच प्रारंभ किए जाने का अनुरोध किया गया है, जिनका उद्गम **चीन जनवादी गणराज्य तथा जापान** में है अथवा जिनका निर्यात इन देशों से किया जाता है (जिन्हें आगे **"संबद्ध देश"** कहा गया है)।

2. आवेदक ने यह आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों से उद्गमित अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण क्षति हो रही है। अतः आवेदक ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. विचाराधीन उत्पाद रेसोरसिनॉल है।

4. विचाराधीन उत्पाद को 1,3-बेंजीनडायोल, 1,3-डाइहाइड्रॉक्सीबेंजीन तथा मेटा-डाइहाइड्रॉक्सीबेंजीन के नाम से भी जाना जाता है। इस उत्पाद का रासायनिक सूत्र $C_6H_6O_2$ है तथा इसका सीएएस (CAS) संख्या 108-46-3 है। यह उत्पाद सामान्यतः सफेद से हल्के सफेद रंग के फ्लेक्स के रूप में आपूर्ति किया जाता है तथा जल में विलेय है।

5. विचाराधीन उत्पाद का मुख्य रूप से उपयोग टायर एवं रबर उत्पादों के निर्माण तथा रेज़िन बॉन्डिंग अनुप्रयोगों में एक मध्यवर्ती रसायन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग विशेष प्रकार के लकड़ी-आधारित आसंजक रेज़िन, यूवी स्थिरीकारकों, रंजको, औषधियों, प्रसाधन सामग्री तथा अग्निरोधी अनुप्रयोगों के निर्माण में भी किया जाता है।

6. विचाराधीन उत्पाद का निर्माण निम्नलिखित प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जा सकता है:

    क. सल्फोनेशन-फ्यूज़न प्रक्रिया

    ख. हाइड्रोपेरॉक्सीडेशन प्रक्रिया तथा

    ग. एमपीडीए हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया

7. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि विभिन्न विनिर्माण प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित संबद्ध वस्तुएँ तुलनीय विशेषताओं से युक्त हैं, समान तकनीकी विनिर्देशों को पूरा करती हैं तथा वाणिज्यिक अनुप्रयोगों में परस्पर प्रतिस्थापनीय हैं। आवेदक संबद्ध वस्तुओं का विनिर्माण सल्फोनेशन-फ्यूज़न प्रक्रिया के माध्यम से करता है।

8. इस जांच में विचाराधीन उत्पाद के लिए माप की इकाई मीट्रिक टन (MT) मानी गई है।

9. विचाराधीन उत्पाद का वर्गीकरण सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत एचएस (HS) कोड 2907 21 00 में किया जाता है। तथापि, यह सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

10. हितबद्ध पक्षकार वर्तमान जांच के प्रारंभ की तिथि से पंद्रह (15) दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद (PUC) के कार्यक्षेत्र के संबंध में अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं तथा, यदि कोई हों, तो उनके समर्थन में उचित औचित्य सहित उत्पाद नियंत्रण संख्या (PCNs) प्रस्तावित कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

11. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि उसके द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तुओं में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुएं और आवेदक द्वारा विनिर्मित वस्तुएं तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। अतः वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ, आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु को प्रथम दृष्टया संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद के समान वस्तु के रूप में माना गया है।

ग. घरेलू उद्योग और स्थिति

12. यह आवेदन अतुल लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि वह भारत में समरूप वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है। आवेदक ने यह भी प्रस्तुत किया है कि उसने जांच अवधि (POI) के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है। आवेदक की चीन जनवादी गणराज्य में एक संबद्ध इकाई, अर्थात् अतुल चाइना, है। तथापि, आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि उक्त संबद्ध इकाई ने जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात

नहीं किया। आवेदक ने यह भी प्रस्तुत किया है कि उसका भारत में संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातक से कोई संबंध नहीं है।

13. अभिलेख पर उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी प्रथम दृष्टया मानता है कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग है तथा आवेदन नियम 5(3) के अंतर्गत पात्रता की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

घ. संबद्ध देश

14. वर्तमान पाटन-रोधी जांच के लिए संबद्ध देश चीन जनवादी गणराज्य एवं जापान हैं।

ङ. जांच की अवधि

15. वर्तमान जांच के लिए जांच अवधि (POI) 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 (12 माह) है। क्षति जांच अवधि में 2022-23, 2023-24, 2024-25 तथा वर्तमान जांच अवधि (POI) शामिल हैं।

च. कथित पाटन का आधार

i. चीन के लिए सामान्य मूल्य

16. आवेदक ने यह प्रस्तुत किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और चीन जन. गण. के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। जब तक ऐसे उत्पादक यह प्रदर्शित नहीं करते कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-I के अनुसार निर्धारित किया जाना अपेक्षित है।

17. वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना है और किसी अन्य आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड में सूचना के अभाव में चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य भारत में देय कीमत के आधार पर निर्धारित किया है। सामान्य मूल्य का निर्माण भारत में उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है, जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों तथा युक्तिसंगत लाभ के लिए विधिवत समायोजित किया गया है।

ii. जापान के लिए सामान्य मूल्य

18. आवेदक ने यह प्रस्तुत किया है कि जापान में संबद्ध वस्तुओं की घरेलू बिक्री कीमतों और वास्तविक उत्पादन लागत के संबंध में विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं थी। तदनुसार, आवेदक जापान में प्रचलित घरेलू बिक्री कीमतों के आधार पर अथवा जापान से किसी उपयुक्त तीसरे देश को निर्यातों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं कर सका।

19. वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ, जापान में संबद्ध वस्तुओं की घरेलू बिक्री कीमतों अथवा उत्पादन लागत के संबंध में विश्वसनीय सूचना के अभाव में, प्राधिकारी ने सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर जापान के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। सामान्य मूल्य का निर्माण भारत में उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है, जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों तथा युक्तिसंगत लाभ के लिए विधिवत समायोजित किया गया है।

iii. निर्यात मूल्य

20. आवेदक ने अभिलेख पर उपलब्ध आयात सूचना के आधार पर निर्यात मूल्य का निर्धारण किया है। जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ, निर्यात मूल्य के निर्धारण हेतु डीजी सिस्टम्स के आयात आंकड़ों पर विचार किया गया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक शुल्क, ऋण लागत, बंदरगाह व्यय और अंतर्देशीय भाड़ा के संबंध में, जहां दावा किया गया और आवश्यक समझा गया, उपयुक्त समायोजन किए गए हैं, ताकि एक्स-फैक्ट्री निर्यात मूल्य प्राप्त किया जा सके।

21. इस प्रकार निर्धारित शुद्ध निर्यात मूल्य को वर्तमान जांच के प्रारंभ के उद्देश्य से उपयुक्त माना गया है।

iv. पाटन मार्जिन

22. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना एक्स-फैक्ट्री स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह इंगित होता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के संबंध में पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक तथा महत्वपूर्ण है। तदनुसार, इस बात

के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध हैं कि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं का भारतीय बाजार में पाटन किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संपर्क का साक्ष्य

23. आवेदक ने संबद्ध देशों से आयातों की महत्वपूर्ण मात्रा, कीमत कटौती, मूल्य दमन और कीमतों में गिरावट के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, जो कथित रूप से संबद्ध आयातों के कारण उत्पन्न हुए हैं। आवेदक ने यह भी प्रस्तुत किया है कि क्षति अवधि के दौरान लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में गिरावट आई है। अभिलेख पर उपलब्ध सूचना प्रथम दृष्टया यह इंगित करती है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से कथित पाटित आयातों के कारण महत्वपूर्ण क्षति हुई है। आवेदक ने कथित पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के अस्तित्व का भी दावा किया है।

ज. जांच की शुरुआत

24. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत पुष्ट आवेदन के आधार पर तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर यह संतुष्ट होते हुए कि संबद्ध देशों से उद्गमित अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में पाटन विद्यमान है, घरेलू उद्योग को क्षति हुई है तथा कथित पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध मौजूद है, और अधिनियम की धारा 9A तथा नियमावली के नियम 5 के अनुरूप, प्राधिकरण द्वारा एतद् द्वारा एक पाटन-रोधी जांच प्रारंभ की जाती है, जिसका उद्देश्य संबद्ध देशों से उद्गमित अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन के अस्तित्व, स्तर तथा प्रभाव का निर्धारण करना तथा पाटन-रोधी शुल्क की उपयुक्त मात्रा की सिफारिश करना है, जो लगाए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त हो।

झ. प्रक्रिया

25. वर्तमान जांच में नियमावली के नियम 6 में निहित प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

26. इस जांच से संबंधित समस्त सूचना, प्रश्नावली तथा प्रस्तुतियाँ केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से ही, इस अधिसूचना में निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत की जाएँगी। प्राधिकरण ईमेल अथवा किसी अन्य माध्यम से भेजी गई प्रस्तुतियों पर विचार नहीं कर सकता है।

27. इस जांच में भाग लेने हेतु सभी हितबद्ध पक्षकार को स्वयं को सेतु पोर्टल (https://setudgtr.gov.in) पर पंजीकृत करना आवश्यक है। यदि किसी हितबद्ध पक्षकार को पंजीकरण में कोई कठिनाई होती है, तो वह डीजीटीआर सेतु हेल्पडेस्क से https://setu.dgtr.gov.in/help-desk पर उपलब्ध विवरण के माध्यम से संपर्क कर सकता है। सभी संचार एवं प्रस्तुतियाँ हितबद्ध पक्षकार द्वारा उनके पंजीकृत नाम तथा उपर्युक्त उल्लिखित संबंधित केस आईडी के अंतर्गत केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से ही दाखिल की जाएँगी। हितबद्ध पक्षकार यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तुतियों का वर्णनात्मक भाग खोज योग्य पीडीएफ अथवा एमएस वर्ड प्रारूप में दाखिल किया जाए, जबकि आंकड़ों से संबंधित फाइलें उचित रूप से लिंक की गई गणनाओं सहित एमएस एक्सेल प्रारूप में प्रस्तुत की जाएँ।

28. संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित संबद्ध देशों की सरकारों के दूतावासों तथा भारत में संबद्ध वस्तुओं से संबंधित ज्ञात आयातकों और उपयोगकर्ताओं को पृथक रूप से सूचित किया जा रहा है, ताकि वे नीचे निर्धारित समय-सीमाओं के भीतर निर्धारित प्रपत्र और रीति में सभी प्रासंगिक सूचना दाखिल कर सकें। ऐसी समस्त सूचना इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में निर्धारित प्रपत्र और रीति में दाखिल की जाएगी।

29. इस जांच में रुचि रखने वाले सभी पक्षों को सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान जांच में अपनी रुचि (जिसमें रुचि की प्रकृति भी शामिल है) की सूचना दें तथा इस प्रारंभिक अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर अपनी प्रश्नावली प्रतिक्रिया एवं अन्य प्रस्तुतियाँ दाखिल करें।

30. कोई भी हितबद्ध पक्षकार इस जांच से संबंधित प्रासंगिक प्रस्तुतियाँ इस अधिसूचना में निर्धारित प्रारूप एवं पद्धति के अनुसार, निर्धारित समय-सीमा के भीतर कर सकता है। यदि कोई पक्ष प्राधिकरण के समक्ष कोई गोपनीय प्रस्तुति

करता है, तो उसे साथ-साथ उसी का एक अगोपनीय संस्करण भी दाखिल करना आवश्यक होगा। अगोपनीय संस्करण गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना चाहिए।

31. हितबद्ध पक्षकार को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे इस जांच से संबंधित किसी भी अद्यतन जानकारी हेतु नियमित रूप से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) तथा सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) का अवलोकन करते रहें। हितबद्ध पक्षकार को यह सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया जाता है कि वे समय-समय पर जारी किए जाने वाले नोटिसों जैसे कि प्रश्नावली प्रारूप, पीसीएन कार्यप्रणाली, पीसीएन चर्चा/बैठक अनुसूची, मौखिक सुनवाई हेतु नोटिस, प्रकटीकरण, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाएँ, अंतिम निष्कर्ष तथा अन्य संबंधित सूचनाओं के संबंध में अद्यतन रहने हेतु नियमित रूप से DGTR की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

ट. समय सीमा

32. गोपनीय संस्करण तथा अगोपनीय संस्करण को सेतु पोर्टल के संबंधित निर्धारित अनुभागों में उस तिथि से 37 दिनों के भीतर अपलोड किया जाना आवश्यक है, जिस दिन घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के अगोपनीय संस्करण को प्राधिकरण द्वारा प्रसारित किया जाएगा अथवा नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देशों के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधियों को प्रेषित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण पाई जाती है, तो प्राधिकरण नियमावली के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित कर सकता है।

33. वर्तमान जांच में हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण करने की इच्छा रखने वाले किसी भी पक्ष को सेतु पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करना होगा तथा इस प्रारंभिक अधिसूचना में ऊपर उल्लिखित समय-सीमा के भीतर ही अपनी प्रश्नावली प्रतिक्रियाएँ एवं प्रस्तुतियाँ कठोर रूप से दाखिल करनी होंगी।

34. विचाराधीन उत्पाद (PUC) के कार्यक्षेत्र तथा उत्पाद नियंत्रण संख्या (PCN) कार्यप्रणाली पर टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित 15 दिन की अवधि, इस प्रारंभिक अधिसूचना में ऊपर उल्लिखित समय-सीमा के साथ-साथ चलेगी।

35. विचाराधीन उत्पाद (PUC) / उत्पाद नियंत्रण संख्या (PCN) में संशोधन के कारण समय-विस्तार: यदि प्राधिकरण किसी पश्चात् अधिसूचना के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद (PUC) तथा उत्पाद नियंत्रण संख्या (PCN) में ऐसा संशोधन करता है जो पूर्व में प्रस्तावित नहीं था अथवा जो प्रारंभिक अधिसूचना से भिन्न है, तो ऐसी स्थिति में 15 दिनों का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा। यह 15 दिनों की अवधि संशोधित विचाराधीन उत्पाद (PUC) की अधिसूचना तथा उत्पाद नियंत्रण संख्या (PCN) के निर्धारण की तिथि से प्रारंभ होगी। इस अनुच्छेद में उल्लिखित 15 दिनों का समय-विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होगा जहाँ जांच प्रारंभ होने के पश्चात विचाराधीन उत्पाद (PUC) की अधिसूचना तथा उत्पाद नियंत्रण संख्या (PCN) कार्यप्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो। 15 दिनों के इस संभावित विस्तार के अतिरिक्त किसी और समय-विस्तार के अनुरोधों पर सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा, सिवाय असाधारण परिस्थितियों के, तथा यह पाटन-रोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुरूप होगा।

36. किसी भी समय-विस्तार के अनुरोध को संबंधित पक्षों द्वारा सेतु पोर्टल के माध्यम से मूल निर्धारित समय-सीमा से कम से कम 3 दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इस समय-सीमा के पश्चात प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

37. प्राधिकरण के समक्ष कोई भी पक्ष यदि गोपनीय आधार पर कोई प्रस्तुति करता है या सूचना प्रदान करता है, तो उसे पाटन-रोधी नियमावली, 1995 के नियम 7(2) तथा इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी प्रासंगिक व्यापार अधिसूचनाओं के अनुसार, उसी सूचना का एक अगोपनीय संस्करण साथ-साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। उपर्युक्त का अनुपालन न किए जाने की स्थिति में संबंधित प्रतिक्रिया/प्रस्तुतियों को अस्वीकार किया जा सकता है।

38. प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेजों, जैसे प्रस्तुतियां, प्रश्नावली उत्तर अथवा अनुलग्नक, के संबंध में निम्नलिखित का अनुपालन किया जाएगा:

   क. सेतु पोर्टल के निर्धारित अनुभाग में दो संस्करण अपलोड किए जाएंगे—एक गोपनीय के रूप में चिह्नित और दूसरा अगोपनीय के रूप में चिह्नित।

ख. यदि प्रस्तुति में अनेक भाग हों, तो सभी भागों और अनुलग्नकों की सूची सहित एक सूची-पत्र संलग्न किया जाएगा।

ग. प्रस्तुति के प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या अंकित की जाएगी।

39. जहाँ मूल दस्तावेज़ अंग्रेज़ी अथवा हिंदी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में हो, वहाँ हितबद्ध पक्षकार द्वारा मूल दस्तावेज़ के साथ-साथ उसका अंग्रेज़ी अथवा हिंदी में सही एवं प्रमाणित अनुवाद प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

40. गोपनीय अथवा अगोपनीय प्रस्तुतियों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से गोपनीय अथवा अगोपनीय अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसे किसी भी प्रस्तुतीकरण पर, जिस पर उक्त प्रकार का अंकन नहीं होगा, प्राधिकरण द्वारा उसे अगोपनीय माना जाएगा तथा प्राधिकरण अन्य हितबद्ध पक्षकार को ऐसी प्रस्तुतियों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा।

41. गोपनीय संस्करण में वह समस्त सूचना शामिल की जाएगी जो स्वभावतः गोपनीय है, अथवा ऐसी कोई भी सूचना जिसे आपूर्तिकर्ता गोपनीय के रूप में चिह्नित करना चाहता है। किसी भी ऐसी सूचना के संबंध में, जिसके लिए गोपनीयता का दावा किया गया है—चाहे वह उसकी प्रकृति के कारण हो या अन्य कारणों से आपूर्तिकर्ता को एक उचित कारण विवरण भी प्रस्तुत करना होगा। इस विवरण में यह स्पष्ट किया जाएगा कि संबंधित सूचना का प्रकटीकरण क्यों नहीं किया जा सकता है।

42. अगोपनीय संस्करण गोपनीय संस्करण की यथावत प्रतिलिपि होगा, किंतु उसमें समस्त गोपनीय सूचना हटा दी जाएगी / रिक्त कर दी जाएगी।

क. हां संभव हो, गोपनीय विवरणों को अनुक्रमित किया जाएगा।

ख. यदि अनुक्रमण संभव न हो, तो गोपनीय अंशों को रिक्त कर दिया जाएगा।

ग. जिन मामलों में गोपनीयता का दावा किया गया है, वहां सूचना का इस प्रकार सारांश प्रस्तुत किया जाएगा कि अगोपनीय संस्करण में संवेदनशील विवरणों का प्रकटीकरण किए बिना भी उसका सार समझ में आ सके।

43. अगोपनीय सारांश में पर्याप्त विवरण होना चाहिए, जिससे पाटन-रोधी जांच में प्रस्तुत गोपनीय सूचना की विषय-वस्तु को युक्तिसंगत रूप से समझा जा सके। यह सारांश अस्पष्ट नहीं होना चाहिए और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को संवेदनशील विवरणों की सुरक्षा बनाए रखते हुए सूचना के सार को समझने हेतु पर्याप्त स्पष्टता प्रदान करनी चाहिए। असाधारण परिस्थितियों में, जहां गोपनीयता से समझौता किए बिना सूचना का सारांश प्रस्तुत करना संभव न हो, वहां प्रस्तुतकर्ता पक्ष यह इंगित कर सकता है कि उक्त सूचना सारांश योग्य नहीं है। ऐसे मामलों में, पक्ष को कारण सहित विवरण प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह स्पष्ट और पर्याप्त रूप से समझाया गया हो कि सारांश क्यों संभव नहीं है। यह विवरण पाटन-रोधी नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में जारी प्रासंगिक व्यापार सूचनाओं के अनुरूप तथा प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार होना चाहिए।

44. हितबद्ध पक्षकार को अन्य पक्षों द्वारा किए गए गोपनीयता दावों पर अपनी टिप्पणियाँ, उन दस्तावेज़ों के अगोपनीय संस्करण के प्रसारित किए जाने की तिथि से 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने की अनुमति होगी।

45. प्राधिकरण को यह विवेकाधिकार होगा कि वह पाटन-रोधी जांच में प्रस्तुत सूचना की प्रकृति का परीक्षण करने के पश्चात गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सके। यदि प्राधिकरण यह निर्धारित करता है कि गोपनीयता का दावा उचित रूप से स्थापित नहीं है, अथवा यदि सूचना प्रदान करने वाला पक्ष उसे सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत/सारांशित रूप में प्रकट करने की अनुमति देने से इनकार करता है, तो प्राधिकरण ऐसी सूचना को पूर्णतः अस्वीकार कर सकता है।

46. पाटन-रोधी जांच में की गई किसी भी प्रस्तुति के साथ प्रस्तुत की गई सूचना का एक सार्थक अगोपनीय संस्करण संलग्न होना आवश्यक है। यदि ऐसा संस्करण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, अथवा यदि पक्ष पाटन-रोधी नियमावली के नियम 7 तथा प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में जारी प्रासंगिक व्यापार अधिसूचनाओं के अनुसार गोपनीयता दावे को उचित ठहराने हेतु वैध कारण सहित विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो प्राधिकरण ऐसी प्रस्तुति को अभिलेख पर नहीं लेगा।

47. जहाँ प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट होता है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित है, वहाँ वह ऐसी सूचना को, सूचना प्रदान करने वाले पक्ष की विशिष्ट अनुमति के बिना, किसी अन्य पक्ष को प्रकट नहीं करेगा।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

48. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा की गई प्रस्तुतियों के सभी अगोपनीय संस्करण अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध होंगे।

ढ. असहयोग

49. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना तक पहुंच देने से इनकार करता है अथवा उचित अवधि के भीतर या प्राधिकारी द्वारा इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, अथवा जांच में महत्वपूर्ण बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकता है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित कर सकता है तथा केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है जिन्हें वह उचित समझे।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the18th June, 2026

SETU Case ID: AD/OI/022/2026

Subject: Initiation of Anti-Dumping Investigation concerning imports of Resorcinol originating in or exported from China PR and Japan

1. **F. No. 6/21/2026-DGTR:** Atul Limited (hereinafter referred to as the "applicant") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority"), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Rules"), seeking initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of Resorcinol (hereinafter referred to as the "product under consideration" or "subject goods") originating in or exported from China PR and Japan (hereinafter referred to as the "subject countries").

2. The applicant has alleged that material injury is being caused to the domestic industry due to the alleged dumped imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries and has requested for imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject countries.

A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

3. The product under consideration is Resorcinol.

4. The product under consideration is also known as 1,3-Benzenediol, 1,3-Dihydroxybenzene and Meta-Dihydroxybenzene. The chemical formula of the product is C6H6O2 and its CAS Number is 108-46-3. The product is generally supplied in the form of white to off-white flakes and is water soluble.

5. The product under consideration is primarily used as an intermediate in the manufacture of tyre and rubber products and in resin bonding applications. It is also used in the manufacture of specialised wood adhesive resins, UV stabilizers, dyes, pharmaceuticals, cosmetic preparations and flame-retardant applications.

6. The product under consideration can be manufactured through the following processes:

i. Sulphonation-fusion process;
ii. Hydroperoxidation process; and
iii. MPDA hydrolysis process.

7. The applicant has submitted that the subject goods produced through the various manufacturing processes possess comparable characteristics, meet the same technical specifications and are interchangeable in commercial applications. The applicant manufactures the subject goods through the sulphonation-fusion process.

8. The unit of measurement considered for the present investigation for the product under consideration is Metric Tons (MT).

9. The product under consideration is classified under tariff item 2907 21 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the present investigation.

10. Interested parties may provide comments on the scope of the product under consideration and propose Product Control Numbers (PCNs), if any, along with justification therefor, within fifteen (15) days from the date of initiation of the present investigation.

B. LIKE ARTICLE

11. The applicant has stated that there are no significant differences in the subject goods produced by the applicant and those exported from the subject countries. The product produced by the applicant and that imported from the subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical and chemical characteristics, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the subject goods. The subject goods imported from the subject countries and the goods manufactured by the applicant are technically and commercially substitutable. Thus, for the purpose of initiation of the present investigation, the goods produced by the applicant has been *prima facie* considered as like article to the product being imported from the subject countries.

C. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

12. The application has been filed by Atul Limited. The applicant has submitted that it is the sole producer of the like article in India. The applicant has further submitted that it has not imported the subject goods from the subject countries during the period of investigation. The applicant has a related entity in China PR, namely Atul China. However, the applicant has submitted that the related entity did not export the subject goods to India during the period of investigation. The applicant has also submitted that it is not related to any importer of the subject goods in India.

13. Based on the information available on record, the Authority *prima facie* considers that the applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and that the application satisfies the requirements of standing under Rule 5(3) of the Rules.

D. SUBJECT COUNTRIES

14. The subject countries for the present anti-dumping investigation are China PR and Japan.

E. PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

15. The period of investigation ("POI") for the present investigation is from 1st January 2025 to 31st December 2025 (12 months). The injury investigation period covers the periods 2022-23, 2023-24, 2024-25 and the POI.

F. BASIS OF ALLEGED DUMPING

i. Normal value for China

16. The applicant has submitted that China PR should be treated as a non-market economy country and that producers from China PR should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry with regard to the production and sale of the subject goods. Unless such producers demonstrate that market economy conditions prevail, normal value for China PR is required to be determined in accordance with Annexure-I of the Rules.

17. For the purpose of the present initiation, the Authority has considered China PR to be a non-market economy and determined normal value for China PR based on price payable in India, in the absence of information on record for determining normal value on any other basis. The normal value has been constructed based on the cost of production in India, duly adjusted for selling, general and administrative expenses, with reasonable profit.

ii. Normal value for Japan

18. The applicant has submitted that reliable information regarding domestic selling prices and actual cost of production of the subject goods in Japan was not available. Accordingly, the applicant could not determine normal value on the basis of domestic selling prices prevailing in Japan or on the basis of exports from Japan to an appropriate third country.

19. For the purpose of the present initiation, in the absence of reliable information regarding domestic selling prices or cost of production of the subject goods in Japan, the Authority has determined normal value for Japan on the basis of best available information. The normal value has been constructed based on the cost of production in India, duly adjusted for selling, general and administrative expenses, with reasonable profit.

iii. Export price

20. The applicant has determined the export price based on import information available on record. For the purpose of initiation, DG Systems import data has been considered for determination of the export price. Appropriate adjustments have been made, wherever claimed and considered necessary, on account of

ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, credit cost, port expenses and inland freight to arrive at the ex-factory export price.

21. The net export price so determined is considered appropriate for the purpose of initiation of the present investigation.

iv. Dumping Margin

22. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* indicates that the dumping margin in respect of the subject goods from the subject countries is above the *de minimis* level and is significant. Accordingly, there is sufficient *prima facie* evidence that the subject goods originating in or exported from the subject countries are being dumped in the Indian market.

G. INJURY AND CAUSAL LINK

23. The applicant has submitted *prima facie* evidence regarding significant volume of imports from the subject countries, price undercutting, price suppression and price depression caused by the subject imports. The applicant has further submitted that profitability, cash profits and return on capital employed have deteriorated during the injury period. The information available on record *prima facie* indicates that the domestic industry has suffered material injury due to the allegedly dumped imports from the subject countries. The applicant has also claimed the existence of a causal link between the alleged dumped imports and the injury suffered by the domestic industry.

H. INITIATION OF THE INVESTIGATION

24. On the basis of the duly substantiated application filed by the applicant and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the applicant, regarding dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumped imports and the injury suffered by the domestic industry, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority hereby initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. PROCEDURE

25. The provisions contained in Rule 6 of the Rules shall be followed in the present investigation.

J. SUBMISSION OF INFORMATION

26. All information, questionnaires, and submissions for this investigation must be filed through the **SETU Portal only** within the deadlines specified in this notification. The Authority may not consider submissions sent via email or any other method.

27. In order to participate in the investigation, all interested parties are required to register themselves on the SETU Portal (https://setudgtr.gov.in). In case of any difficulty in registering as an interested party, the DGTR's SETU Helpdesk may be contacted through the details provided at https://setu.dgtr.gov.in/help-desk. All communications and submissions from the interested parties must be filed through the SETU

Portal under their registered name and the corresponding Case ID mentioned above. Interested parties are required to ensure that the narrative part of the submissions is filed in searchable PDF/MS Word format, while the data files must be submitted in MS Excel format with properly linked calculations.

28. The known producers/ exporters in the subject countries, the governments of the subject countries through their embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limits set out below. All such information must be filed in the form and manner prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.

29. Parties interested in the investigation are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant investigation and file their questionnaire response/submissions within the time limits mentioned in this initiation notification.

30. Any interested party may make submissions relevant to the present investigation in the form and manner prescribed within the time limits specified in this notification. Any party making any confidential submission before the Authority is required to simultaneously file a non-confidential version of the same. The non-confidential version should be a replica of the confidential version.

31. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (https://www.dgtr.gov.in/) and SETU portal (https://setu.dgtr.gov.in) for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of DGTR to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussions/meeting schedule, notice for oral hearing, disclosure, corrigendum, amendment notifications, final finding and other such information.

K. TIME LIMIT

32. The confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated sections of SETU portal within 37 days from the date on which the non-confidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries as per Rule 6(4) of the Rules, 1995. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

33. Any party wishing to register as an interested party in the present investigation must register through the SETU Portal and file their questionnaire responses and submissions strictly within the time limits mentioned above in this Initiation Notification.

34. The 15-day period to file comments on the scope of the PUC / PCN methodology shall run concurrently with the time limited mentioned above in this Initiation Notification.

35. Extension due to modification of PUC / PCN: An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority, through subsequent notice, modifies the PUC, and PCN that was not previously proposed or is different from the initiation notification. This extension of 15 days shall be granted from date of such notification of modified PUC and prescription of PCN. Extension of time by 15 days stated in this paragraph is not applicable in instances where there is no change in the PUC, and PCN methodology after

initiation of investigation. Requests for a further extension of time, beyond 15 days extension (if granted), will ordinarily not be considered except in case of exceptional circumstances, in line with Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules.

36. Any request for an extension must be submitted by the concerned parties through the SETU portal at least 3 days before the original deadline. Requests submitted after this time will not be considered.

L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

37. Any party making confidential submission or providing information on a confidential basis before the Authority is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same information in terms of Rule 7(2) of the Anti-Dumping Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.

38. Whenever you give documents to the Authority (like submissions, questionnaires, or annexures), you must do the following:

1. Upload two versions in the designated section of the SETU portal.: one marked confidential and another marked non-confidential,
2. If your submission has many parts, add an index table that lists all parts and annexures.
3. Ensure page numbering is on every page of your submission.

39. Where the original document is in a language other than English or Hindi, the interested party shall provide a true translation in English or Hindi along with the original document.

40. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

41. The confidential version must include all information that is inherently confidential, or any information the supplier chooses to mark as confidential. For any information where confidentiality is claimed — whether by its nature or for other reasons — the supplier must also provide a good cause statement. This statement should explain why the information cannot be disclosed.

42. The non-confidential version must be an exact copy of the confidential version, but with all confidential information removed.

- Confidential details should be indexed wherever possible.
- If indexing is not feasible, the confidential parts should be blanked out.
- In cases where confidentiality is claimed, the information should be summarised so that the non-confidential version still conveys the essence without revealing sensitive details.

43. A non-confidential summary must provide sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the confidential information submitted in an anti-dumping investigation. The summary cannot be vague and should provide other interested parties with sufficient clarity to understand the essence of the information while protecting sensitive details. In exceptional circumstances where the information cannot be summarized without compromising confidentiality, the submitting party may indicate that the

information is not susceptible to summary. In such cases, the party must provide a statement of reasons containing a clear and adequate explanation, consistent with Rule 7 of the Anti-Dumping Rules and the relevant trade notices issued by the Authority, as to why summarization is not possible, to the satisfaction of the Authority.

44. Interested parties are allowed to submit their comments on the confidentiality claims made by other parties within 7 days from the date on which the non-confidential version of the documents is circulated.

45. The Authority has the discretion to either accept or reject a request for confidentiality after examining the nature of the information submitted in an anti-dumping investigation. If the Authority determines that the confidentiality claim is not justified, or if the party providing the information refuses to make it public or to allow its disclosure in a generalized or summarized form, the Authority may disregard such information altogether.

46. Any submission made in an anti-dumping investigation must be accompanied by a meaningful non-confidential version of the information provided. If such a version is not furnished, or if the party fails to provide a valid statement of reasons in accordance with Rule 7 of the Anti-Dumping Rules and the relevant trade notices issued by the Authority to justify the confidentiality claim, the Authority will not take the submission on record.

47. Where the Authority is satisfied that the request for confidentiality is warranted, it shall not disclose such information to any party without the specific authorisation of the party providing the information.

M. INSPECTION OF PUBLIC FILE

48. All non-confidential versions of the submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU Portal.

N. NON-COOPERATION

49. In case any interested party refuses access to, or otherwise does not provide, necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available on record and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

AMITABH KUMAR, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.06.23 14:49:58 +05'30'